उत्तर रेलवे
NORTHERN RAILWAY

प्रधान कार्यालय,
बड़ौदा हाउस,
नई दिल्ली।

मु0क्र0सं0 13500/71

प.सं. 89-P/6 CPC/09/Pass

दिनांक 29/01/2009

सभी मुख्य विभागाध्यक्ष
समस्त मण्डल रेल प्रबन्धक
एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय
(मानक सूची के अनुसार)

विषय - Regulation of entitlement of Privilege passes pending issue of orders on the basis of the recommendations of the 6th. Central Pay Commission.

रेल मंत्रालय के पत्र सं. E(W)2008 PS 5-1/43 दिनांक 15/01/2009 (आर.बी.ई.सं.08/2009) क्र.सं. पी.सी.-VI No.71/2009 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

29/01/09

संलग्न/यथोक्त

(Om Prakash)
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि:-

1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।
2. महासचिव;एनआरएमयू 12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली
3. महासचिव;अ0भा0अ0जा0/अ0ज0जा0 रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर;नईदिल्ली-24
4. महासचिव;अ0भ0अ0पि0व0 रेल कर्मचारी संगठन 171/ए,3 बसंत लेन नई दिल्ली।

R.B.E. No. 9 /2009
PC-VI No. 71/2009

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E(W)2008 PS 5-1/43

New Delhi, dated 15-01-2009

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Regulation of entitlement of Privilege Passes pending issue of orders on the basis of the recommendations of the 6th Central Pay Commission.

******

A question has been raised as to how the entitlement of Privilege Passes should be regulated in respect of persons whose pay may be fixed in the revised scales of pay, promulgated under the RS(RP) 2008, pending issue of revised pay limits.

2. It is hereby clarified that the `Pay' in the pre-revised scale (Vth Central Pay Commission Scale ) should continue to be the basis for gradation and related entitlement. In respect of the persons continuing in posts held prior to 01-01-2006 whose pay may be fixed in the revised Pay Bands/Scales, `Pay' for purpose of passes will be the `Pay' in the Vth Central Pay Commission Scale that would have been drawn but for fixation of pay in the revised Pay Bands/Scales. In the case of persons who are either appointed to different posts on or after 01-01-2006 or initially recruited on or after that date the `notional' pay which they would have drawn in the pre-revised scales but for the introduction of the revised Pay Bands/Scales, should be taken into account.

3. This issues with the concurrence of the Finance Dte. of the Ministry of Railways.

(Debasis Mazumdar)
Joint Director Estt. (Welfare)
Railway Board

आर बी ई सं. 9 /2008
पीसी-VI सं 71

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2008 पीएस 5-1/43 नई दिल्ली, दिनांक 15.01.2009

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित सुविधा पासों के आदेशों के लंबित मामले की पात्रता का विनियमन।

एक प्रश्न उठाया गया है कि उन कर्मचारियों जिनका वेतन आरएस (आरपी) 2008 के लागू होने पर संशोधित वेतनमानों में निर्धारित किया गया है, को सुविधा पासों की पात्रता के संबंध में कैसे विनियमित किया जाए, जो संशोधित वेतन सीमाओं का लंबित मामला है।

2. एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधन पूर्व वेतनमान (पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग) में वेतन, ग्रेडेशन एवं संबंधित पात्रता के आधार पर मिलना जारी रखेगा। ऐसे व्यक्तियों जो 01.01.2006 से पूर्व पदों पर बने हुए हैं, जिनका वेतन संशोधित पे बैंडों/वेतनमान 'वेतन' में निर्धारित किया जा सकता है, के संबंध में पासों के प्रयोजन हेतु 'वेतन' पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों में वह 'वेतन' होगा, जिसे संशोधित पे बैंडों/वेतनमानों में वेतन के निर्धारण के अलावा आहरित किया जाएगा। उन व्यक्तियों के मामले में, जिनकी नियुक्ति विभिन्न पदों पर 01.01.2006 को या उसके बाद हुई हो या जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति उस तारीख या उस तारीख के बाद हुई हो, उनके 'नोशनल' वेतन को ध्यान में रखा जाए जिसे वे संशोधन पूर्व वेतनमानों में आहरित करते रहे हैं, जो संशोधित पे बैंडों/वेतनमानों के शुरू होने के कारण हुआ हो।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(हस्ताक्षर)
(देबाशीष मजूमदार)
संयुक्त निदेशक स्था. (कल्याण)
रेलवे बोर्ड।

ESTT-E(W)